Date 23/07/2020 | Page: 1 to 3 | Saathi

B.A.(H) PART-2ND
POLITICAL SCIENCE
PAPER-III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH-4th (FUNDAMENTAL RIGHTS & FUNDAMENTAL DUTIES)
LECTURE No.-20 (Total-59)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL.SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

मूल कर्तव्य
Fundamental Duties

1950 में संविधान लागू करते समय भारतीय संविधान में केवल मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था, मूल कर्तव्यों का नहीं। बाद में अनुभव किया गया कि कर्तव्य के बिना अधिकार निरर्थक हैं तथा निरंकुशता पैदा करते हैं। इसीलिए अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों का भी होना जरूरी है। चूँकि राज्यों के द्वारा व्यक्तियों के कल्याण हेतु अधिकार प्रदान किए जाते हैं, तो नागरिकों का भी राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य होता है या होना चाहिए ताकि राज्य प्रगति करें।

उपर्युक्त वर्णित वजहों से सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग-'4क' जोड़ते हुए अनुच्छेद '51क' के अन्तर्गत 10 (दस) मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया गया।

86 वें संविधान संशोधन, 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11 वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। यह मूल कर्तव्य है- '6-14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता या संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि वे अपने पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें।"

Scanned with CamScanner

Date __/__/____

Saathi

भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिकों के लिए उल्लेखित 11 (ग्यारह) मूल कर्तव्य इस प्रकार हैं —

(1) संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

(2) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

(3) भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे।

(4) देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।

(5) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

(6) हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और संरक्षण करे।

(7) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्द्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

(8) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

Scanned with CamScanner

Date ___/___/___

Saathi

(9) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

(10) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले।

(11) माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे।

——— x ——— x ——— x

Scanned with CamScanner